

फो.नं. 0788-2322345

E-mail: deomdmdurg@gmail.com

ज्ञाप क्रमांक/15561/सेजेस /शिकायत/2026-27/
प्रति,

दुर्ग दिनांक
- 7 SEP 2026

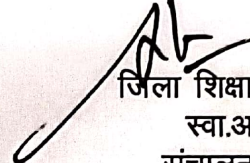
श्रीमती महलका बेबी राना
व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. तकियापारा,
वि.ख व जिला-दुर्ग
विषय- बिना अनुमति की गई विदेश यात्रा करने के संबंध में ।
संदर्भ- टी.एल प्रकरण क्रमांक-16058 दिनांक 29.07.2026
आपका पत्र दिनांक 21.02.2025

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा वर्ष 2022 में बिना अनुमति की गई विदेश यात्रा के संबंध में आपको कार्यालयीन पत्र ज्ञाप क्रमांक/2040/स्था-01/शिकायत/2024-25 दुर्ग दिनांक 18.02.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। आपके संदर्भित पत्र में आपके द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि 2012 में प्राप्त अनुमति के आधार पर 2022 में नियमानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत करा कर एक बार धार्मिक विदेश यात्रा की गई है।

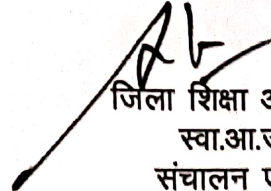
उक्त प्रकरण को कलेक्टर महादेव द्वारा समया सीमा में अंकित किया गया है। तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त विदेश यात्रा संबंधी नियमानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत संबंधी दस्तावेज/ सेवा पुस्तिका इन्द्राज/स्वीकृति आदेश इत्यादि कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव
स्वा.आ.उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला-दुर्ग
दुर्ग दिनांक
- 7 SEP 2026

पृ.क्रमांक/15562/ सेजेस / शिकायत /2026-27/
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर पदेन अध्यक्ष स्वा.आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. आवेदक श्री पवन केशवानी, प्रबुद्ध नागरिक मंच 6बी/सड़क 19/सेक्टर 05 भिलाई को सूचनार्थ।
4. आवेदक श्री रुद्र नारायण सिन्हा, निवासी ए-183 सड़क-31 स्मृति नगर भिलाई को सूचनार्थ।
5. सतर्कता शाखा, स्थानीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव
स्वा.आ.उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला-दुर्ग

फो.नं. 0788-2322345

E-mail: deomdmurg@gmail.com

ज्ञाप क्रमांक/15563/सेजेस/शिकायत/2026-27/
प्रति,

दुर्ग दिनांक
- 7 SEP 2026

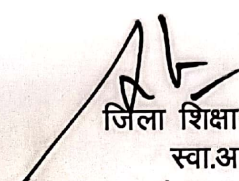
श्री नौशाद खान
व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. गनियारी,
वि.ख व जिला-दुर्ग
विषय- बिना अनुमति की गई विदेश यात्रा करने के संबंध में ।
संदर्भ- टी.एल प्रकरण क्रमांक-16058 दिनांक 29.07.2026
आपका पत्र क्रमांक/261/स्पष्टीकरण/2024-25 फरीदनगर दिनांक 31.01.2025

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा वर्ष 2022 में बिना अनुमति की गई विदेश यात्रा के संबंध में आपको कार्यालयीन पत्र ज्ञाप क्रमांक/1163/सेजेस/शिकायत/2024-25 दुर्ग दिनांक 27.01.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। आपके संदर्भित पत्र में आपके द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि 2012 में प्राप्त अनुमति के आधार पर 2022 में नियमानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत करा कर एक बार धार्मिक विदेश यात्रा की गई है।

उक्त प्रकरण को कलेक्टर महादेय द्वारा समया सीमा में अंकित किया गया है। तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त विदेश यात्रा संबंधी नियमानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत संबंधी दस्तावेज/ सेवा पुस्तिका इन्द्राज/स्वीकृति आदेश इत्यादि कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

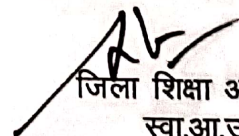

जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव
स्वा.आ.उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला-दुर्ग

दुर्ग दिनांक

पृ.क्रमांक/15564/सेजेस/शिकायत/2026-27/
प्रतिलिपि:-

- 7 SEP 2026

1. कलेक्टर पदेन अध्यक्ष स्वा.आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. आवेदक श्री पवन केशवानी, प्रबुद्ध नागरिक मंच 6बी/सड़क 19/सेक्टर 05 भिलाई को सूचनार्थ।
4. आवेदक श्री रुद्र नारायण सिन्हा, निवासी ए-183 सड़क-31 स्मृति नगर भिलाई को सूचनार्थ।
5. सतर्कता शाखा, स्थानीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव
स्वा.आ.उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला-दुर्ग

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग ।।
जिला पंचायत के सामने, जी.ई. रोड, दुर्ग छ.ग.

फ़ोन. 0788-2322345

E-mail: deomdmurg@gmail.com

ज्ञाप क्रमांक /15608/ सेजेस / शिकायत / 2026-27 /
प्रति,

दुर्ग दिनांक - 7 SEP 2026

प्राचार्य
सेजेस फरीदनगर
विषय:- विनोद यादव , पूर्व प्रमारी प्रधानपाठक(मूल पद शिक्षक एल.बी) के द्वारा सेजेस हिन्दी माध्यम के शासकीय राशि अकाउंट 3339 कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित सहित प्रधान पाठक बैंक आफ बरोदा के अकाउंट से राशि के गबन बाबत।
संदर्भ:- आवेदक श्री रुद्र नारायण सिन्हा प्रांतीय कोषाध्यक्ष का पत्र दिनांक 05.08.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक श्री रुद्र नारायण सिन्हा द्वारा सेजेस फरीदनगर के पूर्व प्रमारी प्रधानपाठक श्री विनोद यादव के विरुद्ध उक्त खाता क्रमांक के संबंध में शिकायत कार्यालय को की गई है।

शिकायत पत्र की प्रति सहपत्रित है। उल्लेखित शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को 03 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Jagjeet Singh Dheer
Date: 07-09-2026
16:17:23
जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

पृ क्रमांक /15609/ सेजेस / शिकायत / 2026-27 /
प्रतिलिपि:-

दुर्ग दिनांक - 7 SEP 2026

1. कलेक्टर, जिला-दुर्ग को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
3. आवेदक श्री रुद्र नारायण सिन्हा प्रांतीय कोषाध्यक्ष , को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग